

क्षेत्रीय कार्यालय: द्वितीय तल, भक्त माता कर्मा व्यावसायिक पारसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर -492001

Regional Office: 2<sup>nd</sup> Floor, Bhakta Mata Karma Commercial Complex, New Rajendra Nagar, Raipur- 492001

दूरभाष / Tel: 0771-2432706 / 2420377 ई-मेल / E-mail: fodro.rpr@gmail.com, ro.rpr-fod@nic.in

सं./No.- एफ-17013/1/2021/छ.ग.

7266-7274

दिनांक/Date- 15.09.2023

### कार्यालय ज्ञापन

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध हेतु पॉश अधिनियम 2013 (Prohibition of Sexual Harassment - POSH act 2013) के तहत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन संबंधी।

महिला और बाल विकास विभाग के संदर्भ में अर्धशासकीय पत्र क्र. F.7-5/95-WW दिनांक 15.10.1997 एवं प्रभाग मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र क्र.H-13016/2/2023-O&M-(E-58473) दिनांक 09.06.2023 एवं दिनांक 30.08.2023 के अनुपालन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए पॉश अधिनियम 2013 (Prohibition of Sexual Harassment - POSH act 2013) के तहत क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) का गठन करने का निर्णय लिया गया है। अतः इसके अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से पॉश अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है :

क्र	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	कार्यालय	समिति सदस्यता विवरण
1	श्रीमती भाग्यश्री साठे, संयुक्त निदेशक	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	अध्यक्ष / Chairperson
2	प्रो.नमीता ब्रम्हे, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य / Member
3	श्रीमती माया तिवारी, उपसंचालक	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय (DES), छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर	सदस्य / Member
4	आशुतोष अवस्थी, उपनिदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	सदस्य सचिव सह संयोजक / Member Secretary- cum-Convener
5	सी.पी.एस. मरकाम, सहायक निदेशक	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	सदस्य / Member
6	श्रीमती प्लाबनी दास, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), उपक्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	सदस्य / Member

कुं.प.



यह समिति क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर एवं उपक्षेत्रीय कार्यालयों अंबिकापुर, बिलासपुर और दुर्ग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगी। इस संबंध में "यौन उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हैं, शामिल हैं :

1. शारीरिक संपर्क और अग्रगमन ;
2. लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना ;
3. लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियाँ करना ;
4. अश्लील साहित्य दिखाना ;
5. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। आदि

प्रभारी, रा.सां.का.(क्षे.सं.प्र.), बो.उ.क्षे.का. रायपुर - I /II /III /उ.क्षे.का. अंबिकापुर /बिलासपुर /दुर्ग को निदेशित किया जाता है वे इस कार्यालय ज्ञापन में दी गई जानकारी को उनके तहत कार्य कर रहे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के संज्ञान में लावें एवं ऊपर बताए गए प्रकार की शिकायत प्राप्त होते ही श्रीमती भाग्यश्री साठे, संयुक्त निदेशक एवं आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष, रा.सां.का.(क्षे.सं.प्र.), मुंबई के संज्ञान में लावें।

(रोशन लाल साहू)

उपमहानिदेशक

उपमहानिदेशक / Dy. Director General  
रा.सां.का. (क्षे.सं.प्र.) / N.S.O.(F.O.D.),  
भारत सरकार / Govt. of India  
क्षे.का. रायपुर (उ.ग.) / R.O. Raipur (C.G.)

प्रति :

1. अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, आंतरिक शिकायत समिति (पॉश एक्ट 2013), क्षे.का., रायपुर।
2. प्रभारी, रा.सां.का.(क्षे.सं.प्र.), बो.उ.क्षे.का. रायपुर - I /II /III /उ.क्षे.का. अंबिकापुर /बिलासपुर /दुर्ग।

प्रतिलिपी सूचनार्थः

1. उपमहानिदेशक (प्रशासन), रा.सां.का.(क्षे.सं.प्र.), प्रभाग मुख्यालय, नई दिल्ली।
2. उपमहानिदेशक, रा.सां.का.(क्षे.सं.प्र.), पश्चिमांचल, नागपुर।